



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-63

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 269279 दिनांक 28/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ramaratan S/o Harinarayan एवं Lalita Devi W/o Devi Lal Jajoriya	श्री रामरतन जाजोरिया एवं श्री देवी लाल जाजोरिया	30	200.00 SQ. YARD	Cooperative	MARUTI COLONY Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	दी सांगानेर कॉ.हा.सोसायटी लि. की योजना मारुती कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 30 क्षेत्रफल 200 व0ग0 का पट्टा श्री रामरतन जाजोरिया एवं श्री देवी लाल जाजोरिया के नाम जारी किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार दिनांक 22.08.2023 को श्री देवीलाल जाजोरिया की मृत्यु होने पर इनके विधिक वारिसान श्री अजय जाजोरिया, सुश्री खुशबु जाजोरिया एवं सुश्री रेनूका जाजोरिया द्वारा दिनांक 09.01.2024 को श्रीमती ललिता जाजोरिया के पक्ष में रजि0 हकत्याग



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								किया गया है। तत्पश्चात् आवेदक श्री रामरतन जाजोरिया एवं श्रीमती ललिता जाजोरिया द्वारा रजि0 उपविभाजन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिनमें इनके द्वारा भूखण्ड संख्या 30 क्षेत्रफल 200 व0ग0 का भूखण्ड संख्या 30 (वेस्ट पार्ट) क्षेत्रफल 100 व0ग0 एवं भूखण्ड संख्या 30 (ईस्ट पार्ट) क्षेत्रफल 100 व0ग0 में उपविभाजन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ramaratan S/o Harinarayan एवं Lalita Devi W/o Devi Lal Jajoriya को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |